

S.No. 386 Date 3-3-14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 010245

समझ,

रिटनिंग आफिसर,

वाराणसी छाण्ड स्नातक निर्वाचक दोष

उत्तरप्रदेश।

प्रारूप-26 विधान परिषद के लिये निर्वाचन के लिये रिटनिंग
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुति जाने वाला पथपत्र संलग्न
है।

दिनांक:

पुत्र राममूरत सिंह

अवधेश सिंह



99
XuM
Singh

प्ररूप—26

(निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 4क देखिये)



वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र


भाग—क

मैं अवधेश सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी राममूरत सिंह आयु 58 वर्ष जो सी019/102 लल्लापुरा खुर्द काशी विद्यापीठ, वाराणसी (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ /शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ /करती हूँ :-

1. मैं एक अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। स्वतंत्र (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा ~~खड़ा~~ किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
2. मेरा नाम 388 वाराणसी उत्तर विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 330 के क्रम सं0 155 पर प्रविष्ट है।
3. मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर 9415202450 है/और मेरा ई—मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Prof.awadheshsingh@gmail.com है।
4. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः

क्रम सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं— अवधेश सिंह	AGVPS2258M	2012-2013	1230422/-
2.	पति या पत्नी— ममता सिंह	AYSPS9329J	2012-2013	214800/-

*99
अवधेश सिंह*



3.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता


5. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है:- लागू नहीं होता

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वांकित मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वांकित आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

99


6. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादिष्ट दिया गया है/ नहीं दिया गया है।

नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा करावास का दण्डावेश दिया गया है:-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दण्ड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/ है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता

7. मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

अ— जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी—1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

V.K. Singh

Varanasi

Regd No.

टिप्पणी—2 जमा/विनिधान की दशा में कम से 0, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी—3 सूचीबद्ध कम्पनीयों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनीयों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी—4 यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणी—5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	हाथ में नकदी	रुपये 52000/-	रुपये 22000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खाते में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनीयों और सहकारी सोसाइटियों के पास और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	इलाहाबाद बैंक काशी विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी शाखा, वाराणसी खाता सं० 21045863888 रुपये 860437.13	इलाहाबाद बैंक काशी विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी शाखा, वाराणसी खाता सं० 21045879832 रुपये 32435.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्धपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	एल0आई0सी0 रुपये 2 लाख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	किसी कम्पनी या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और अटिणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान/वायुयान/वोट/पोत (सेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	सफारी UP65AS 4455 वर्ष 2009 रुपये 6 लाख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	जेवशत् बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना 50 ग्राम रुपये 150000/-	सोना 200 ग्राम रुपये 6 लाख चांदी 500 ग्राम रुपये 23 हजार	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	समग्र कुल मूल्य	रु 1810437.13	रु 677435.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता




ब— स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी—1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी—2 प्रत्येक भूमि या भवन या अर्पाटमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित—1 के नाम	आश्रित—2 के नाम	आश्रित—3 आदि के नाम
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण सं० (संख्याए़)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्रफल (एकड़) में कुल माप	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हॉ या नहीं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	गैर—कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण सं० (संख्याए़)	1. पति—पत्नी संयुक्त पाण्डेयपुर 2. स्वयं हुकुलगंज	1. काशी विद्यापीठ 2. लखनऊ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	1. 6800 वर्गफुट 2. 2600 वर्गफुट	1. 1500 वर्गफुट 2. 2000 वर्गफुट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत आई सम्पत्ति है? (हॉ या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	1. 30.07.1997 2. 09.05.1989	1. 02.11.2012 2. 08.05.1998	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	1. रु० 268000.00 2. रु० 300000.00	1. रु० 12 लाख 2. रु० 3 लाख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रु० 15 लाख	रु० 30 लाख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्य की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) सर्वेक्षण सं	काशी विद्यापीठ, वाराणसी संयुक्त	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1360 वर्गफुट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	2200 वर्गफुट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्य की तारीख	18.05.1985	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	रुपये 17 हजार	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	निर्मित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रुपये 50 लाख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

99

V.K. Singh

Varanasi

Regd No.

52721



(v)	अन्य (जैसेकि संपत्ति में हित)	लागू नहीं होता				
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	रुपये 65 लाख	रुपये 30 लाख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था/संस्थानों को ऋण या शोध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	सरकारी शोध्य :— सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	2013–14 रसीद नं० 1250 दिनांक 01.03.2014 रुपये 4782/ जमा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	2012–13 तक जमा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	अद्यतन जमा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
आयकर शोध्य	भाग क कम सं0 4 पर अंकित	भाग क कम सं0 4 पर अंकित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
धन कर शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सेवा कर शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नगर पालिका / संपत्ति कर शोध्य	2013-14 रसीद सं0-104190018 दिनांक 01.03.2014 रूपये 251 जमा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विक्रय कर शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	रुपये-5033/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हॉ तो अंतर्वर्लित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



9. वृत्ति या उपजिविका के ब्यौरे :

क. स्वयं अध्यापन

ख. पत्रि या पत्नी गृहिणी

10. मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

स्कूल / विश्वविद्यालय	उपाधि	वर्ष
रामबाबा इण्टर कालेज सिन्धोरा, वाराणसी	हाईस्कूल	1972
रामबाबा इण्टर कालेज सिन्धोरा, वाराणसी	इण्टरमीडिएट	1974
काशी विद्यापीठ, वाराणसी	बी0ए0	1976
काशी विद्यापीठ, वाराणसी	एम0ए0	1978
काशी विद्यापीठ, वाराणसी	पी0एच-डी0	1983

(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम

विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरे देते हुये विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

११
Signature

भाग—ख

11. भाग—क के (1) से (10) तक में दिये गये व्यौरों का उद्धरण :—

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमारी अवधेश सिंह
2.	डाक का पूरा पता	सी019 / 102 लल्लापुरा खुर्द, काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	388 वाराणसी उत्तर (सामान्य) उत्तर प्रदेश
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र
5.	(क) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	लागू नहीं होता
	(ख) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न	लागू नहीं होता
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या असस्त अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं)	लागू नहीं होता



 का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय
(क)	अभ्यर्थी – अवधेश सिंह	AGVPS2258M	2012-2013
(ख)	प्रति या पत्नी – ममता सिंह	AYSPS9329J	2012-2013
(ग)	आश्रित – लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

99
FBIK
Signature

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)

	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम अस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं होता				
ख	स्थावर आस्तियाँ	लागू नहीं होता				
(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्य कीमत	लागू नहीं होता				
(ii)	क्य के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास / सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं होता				
 की	लागू नहीं होता				
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं होता				
(क)	स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं होता				
(ख)	विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं होता				

★	★	★	★	★	★	★
V.K. Singh V.P.	दायित्व :	Regd. No. 1234567890	Sarkari Shodh (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
			(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है

(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

99
Kumari
Signature

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

स्कूल / विश्वविद्यालय	उपाधि	वर्ष
रामबाबा इण्टर कालेज सिन्धोरा, वाराणसी	हाईस्कूल	1972
रामबाबा इण्टर कालेज सिन्धोरा, वाराणसी	इण्टरमीडिएट	1974
काशी विद्यापीठ, वाराणसी	बी0ए0	1976
काशी विद्यापीठ, वाराणसी	एम0ए0	1978
काशी विद्यापीठ, वाराणसी	पी0एच-डी0	1983

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरा दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयपूर्ति मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-
 क - मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।

ख - मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग-क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की

Solemnly affirmed and declared on the 3-3-14. At 10/10 Am/Pm.

the Deponent who is Identified
आज तारीख 3-3-14 को सत्यापित किया गया।
by - V. K. Singh Adv.

V. K. Singh
NOTARY Varanasi (U.P.)
Regd. No. 5273 Govt. of India

अभिसाक्षी

टिप्पणी :

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथकमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथा स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।